

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की  
धारा–4 (1) ख (12)

मैनुअल संख्या – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया महाप्रबन्धक (एमडीओ), कार्यालय, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून पिन-248006 को डाक अथवा ई-मेल [vivek.atreya@ujvnl.com](mailto:vivek.atreya@ujvnl.com) पर सूचित करें।

## मैनुअल –12

### सामाजिक कार्यों के निष्पादन की नीति:-

यूजेवीएन लि0 द्वारा जनता के लिये कोई भी अनुदान योजना/कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। यूजेवीएन लि0 के अधिकतर परिचालनांतर्गत विद्युत गृह सामाजिक एंव आर्थिक रूप से पिछड़े दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यूजेवीएन लि0 द्वारा एक जिम्मेदार कम्पनी होने के कारण परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक विकास के मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही यूजेवीएन लि0 परियोजना के निकट अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी ध्यान दे रहा है। इस हेतु यूजेवीएन लि0 द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि सुविधाओं के विकास हेतु सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के तहत नीति तैयार की गई है, जो कि यूजेवीएन लि0 की वेब साईट [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) पर उपलब्ध है।